उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–8
संख्या–1796 /9–8–2013–53ज/2013
लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के स्थानीय नागर निकायों के क्षेत्रों में पशुवधशालाओं के संचालन हेतु उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एक नियमावली का प्रख्यापन किया जाना है, जिसमें पशुवध के लिए स्थान चिन्हित करने, पशुवधशालाओं को आबादी से बाहर किये जाने तथा पशुवध हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप पशुवध की संख्या का निर्धारण किये जाने आदि से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाना होगा।

अतएव प्रदेश के स्थानीय नागर निकायों के क्षेत्रों में पशुवधशालाओं के संचालन हेतु उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एक नियमावली तैयार किये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निम्नवत समिति गठित की जाती है:–

1-	निदेशक, स्थानीय निकाय	अध्यक्ष
2-	नगर आयुक्त, आगरा	सदस्य
3-	नगर आयुक्त, कानपुर	सदस्य
4-	नगर आयुक्त, लखनऊ	सदस्य
5-	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊ	सदस्य
6-	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फिरोजाबाद	सदस्य
7-	सदस्य सचिव ,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
8-	डा0 मु0 असलम अंसारी, पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव

निदेशक, स्थानीय निकाय पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में नियमावली तैयार किये जाने के निमित्त पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित किसी विशेषज्ञ को अपने स्तर से नामित कर उसे आवश्यकतानुसार बैठक में विचार विमर्श हेतु आमंत्रित कर सकेंगे।

U.O. r

उक्त समिति आगामी 15 दिवस के अन्दर अपनी बैठक आहूत कर नियमावली को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए नियमावली के प्रारूप को तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायेगी।

सी.बी. पालीवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1896 (1)/नौ–8–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– नगर आयुक्त, कानपुर, आगरा, लखनऊ।
4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
5– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मऊ/फिरोजाबाद।
6– डा0 मु0 असलम अन्सारी, पशुचिकित्सा अधिकारी, निदेशालय, स्थानीय निकाय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।

U.O. r